वाद सं0 - 81/2023 धारा - 144 द0प्र0सं0

जैनुल अंसारी ——— प्रथम पक्ष

बनाम

अदीन अंसारी ——— द्वितीय पक्ष

आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
14.08.23	**आदेश** यह वाद आवेदक जैनुल अंसारी पिता स्व0 सुरमली मियाँ साकिन – उर्रो, थाना – सरिया, जिला – गिरिडीह के आवेदन के आधार पर प्रारम्भं किया गया। प्रथम पक्ष के जैनुल अंसारी पिता स्व0 सुरमली मियाँ बनाम द्वितीय पक्ष के अदीन अंसारी पिता स्व0 सुकर मियाँ को प्रश्नगत भुमि पर धारा – 144 दं0प्र0सं0 कि प्रक्रिया प्रारम्भ कर उभय पक्षों को प्रश्नगत भुमि पर जाने से रोक लगाई गई साथ ही उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर प्रश्नगत भुमि के दावे के समर्थन में कारण पृच्छा की मांग गई। प्रश्नगत भुमि का विवरण निम्न प्रकार है। मौजा – उर्रो, थाना – सरिया, जिला – गिरिडीह के अन्तर्गत खाता नं0 – 67, प्लॉट नं0 – 1188, रकबा – 1.40 एकड मध्ये 20 डी0 चौहदी उ0 – मनी मियाँ, दं0 – परती कदीम, पू0 – कुसल मियाँ, पं0 – होरिल मियाँ। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों थाना प्रभारी सरिया के जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन करने वो उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के कथन सुनने से स्पष्ट होता है कि यह मामला भुमि के हक हकियत से संबंधित है। साथ ही इसका उल्लेख करना समीचीन होगा कि इस वाद में पारित आदेश जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण भाई थोगडिया [*Appeal (Crl.)401 of 2004*] कहा है कि "*.....more preventive in nature and not punitive in their effect and consequences*" . अतः किसी के पक्ष में आदेश पारित करना उचित नहीं होगा। अतः काल बाधित होने के कारण वाद कि कार्यवाई समाप्त कि जाती है। लेखापित। 14.08.23 अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया	

14.08.23

अनुमंडल दण्डाधिकारी

बगोदर–सरिया

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.09.14 12:27:29 +05:30
Location: 192.168.1.13